उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1

संख्या-30/2015/1306/22-1-2015-148/2010

लखनऊ : दिनांक 29 अक्टूबर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62 (एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 के प्रस्तर-6 के उप नियम-6(1) से (5) में दिये गये निर्देशों के क्रम मे वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार कारागार विभाग के समूह-"क " एवं "ख " श्रेणी के अधिकारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार के लिए निम्नवत स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है:-

(1) प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
(2) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य
(3) विशेष सचिव/उप सचिव (विशेष सचिव के उपलब्ध न होने पर) कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य

2- उपर्युक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कारागार विभाग में तैनात समूह- "क " एवं "ख " श्रेणी के अधिकारियों को वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार कर अपनी संस्तुतियां बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में सम्बन्धित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

एस0 के0 रघुवंशी

सचिव।

पृ0 संख्या-30/2015/1306(1)/22-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) विशेष सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3) उप सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(5) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in